राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2647 / 2023	संध्या रानी सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, खेरथल–तिजारा, जिला खेरथल तिजारा। 7. सहायक लेखा अधिकारी– I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, गंधोला, ब्लॉक तिजारा, जिला अलवर।
2.	2648 / 2023	रिछपाल सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू, जिला चूरू। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू, जिला चूरू। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, सजनसर, जिला चूरू।
3.	2649 / 2023	ओम प्रकाश यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, भण्डवाडा, ब्लॉक उमरेन, जिला अलवर।
4.	3165 / 2023	बाबूलाल रैगर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, चरकडा, ब्लॉक नोखा, जिला बीकानेर।
5.	3166 / 2023	रामस्वरूप	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू, संभाग, जिला चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू,

			जिला झुन्झुनू। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 7. प्रधानाचार्य, Shree Kediya, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, केड, ब्लॉक उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
6.	3167/2023	राम प्रसाद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 7. पीईईओ सह प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, Bhatiwar, ब्लॉक उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
7.	3168/2023	मगन सिंह शेखावत	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 6. प्रधानाचार्य, Shree Kediya राजकीय उच्च मा. विद्यालय, केड, ब्लॉक उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
8.	175/2024	गिरधारी लाल सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना। 7. प्रधानाचार्य सह यूसीईईओ, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, उदयपुरवाटी, ब्लॉक उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
9.	176/2024	इन्दिरा कुमारी भाम्बू	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना। 7. प्रधानाचार्य सह यूसीईईओ, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, उदयपुरवाटी, ब्लॉक उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
10.	178/2024	हर्ष राम मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर,

			जिला सीकर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 7. प्रधानाचार्य सह पीईईओ, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, सलवाडी, ब्लॉक खण्डेला, जिला सीकर।
11.	179/2024	बीरबल सिंह पालावत	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, भुवाला, ब्लॉक धोद, जिला सीकर।
12.	180/2024	बद्री लाल जीनगर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 7. प्रधानाचार्य सह पीईईओ, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, जोरावरपुरा, ब्लॉक माण्डल, जिला भीलवाडा।
13.	181/2024	प्रमिला गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, चोमा, ब्लॉक रामगढ, जिला अलवर।
14.	182/2024	मोनिका लढ्ढा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, कोटा, जिला कोटा। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, कोटा, जिला कोटा। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, Sakatpura, ब्लॉक कोटा, जिला कोटा।
15.	183/2024	महेन्द्र कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली

			जिला पाली। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली जिला पाली। 7. प्रधानाचार्य, देवीचन्द मायाचन्द Borlaiwala राजकीय उच्च मा. विद्यालय, Sadri, ब्लॉक देसुरी, जिला पाली।
16.	1355/2024	हुकम चन्द कोली	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीच की गली, माचरी, ब्लॉक रैणी, जिला अलवर।
17.	1356/2024	अमर सिंह मीना	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा जिला दौसा। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा जिला दौसा। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला, ब्लॉक बेजूपाडा, जिला दौसा।
18.	1357/2024	महेश कुमार आबूसरिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर। 7. प्रधानाचार्य सह यूसीईईओ, राधाकृष्णन मारू राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, सीकर जिला सीकर।
19.	1359/2024	पूनम शिवराण	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू। 7. प्रधानाचार्य सह यूसीईईओ, राजकीय गोपीराम गोयनका उच्च मा. विद्यालय, चूरू जिला चूरू।
20.	1360/2024	गिरजेश शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर।

			5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर। 7. प्रधानाचार्य सह यूसीईईओ, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आदर्श नगर, जिला जयपुर।
21.	1361/2024	सतीश टांक	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, भुनस, ब्लॉक सहाडा, जिला भीलवाडा।
22.	1362/2024	अतुल गुरावा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, Bhadali खेडा, ब्लॉक सुवाना, जिला भीलवाडा।
23.	1602/2024	श्रीराम मीना	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा जिला दौसा। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा जिला दौसा। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिन्दरवाडा, ब्लॉक सिकन्दरा, जिला दौसा।
24.	1603/2024	सुमन खीचड़	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा.विद्यालय, आबूसर, ब्लॉक झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।
25.	1604/2024	शिव रतन शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू। 6. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू।

			7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, Jaleu Bari, ब्लॉक रतनगढ, जिला चूरू।
26.	1605/2024	मूलचन्द टेलर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू। 5. सहायक लेखा अधिकारी–1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू जिला चूरू। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, तोलियासर, ब्लॉक सुजानगढ, जिला चूरू।

आदेश की दिनांक : 20.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2647/2023 संध्या रानी सिंह की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी संध्या रानी सिंह की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 15.12.1994 से हुई थी, जिस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.12.1994 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी का समायोजन वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 9/10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 15.05.2007 के द्वारा दिनांक 23.12.2004 से दिया गया तथा 19/18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 19.03.2013 के द्वारा दिनांक 23.12.2012 से दिया गया।

राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 (चतुर्थ बदलाव) 2013 के आधार पर सहायक लेखाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के क्रमांक 3690 दिनांक 16.09.2013 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतन स्थिरीकरण किये जाने एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–प.14(88)वित्त(नियम)2008 जयपुर दिनांक 05.07.2013 के अन्तर्गत

01.07.2013 से परिवर्तित ग्रेड–पे दिये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800/– रुपये दिनांक 01.07.2013 से की गई है। इसके पश्चात अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत पे–मैट्रिक्स लेवल एल–12 में रखा गया। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा दिनांक 23.12.2021 को पूरी कर ली। अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ पे–ग्रेड 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी में प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफ. डी रूल्स/2008I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या–7 (ii) के अन्तर्गत का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार (Regular service for grant of benefits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) के आदेश क्रमांक प. 14 (88)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। अतः उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9,18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित नियम/2008 दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन

ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय (9,18,27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित विभाग के आदेश क्रमांक प. 18 (88) वित (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार याचि को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर 4800 ग्रेड पे में वेतन देय है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.1998 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.01.2006 से 30.06.2013 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। जिसको आदेश दिनांक 05.07.2013 से (प्रभावी दिनांक 01.07.2013) ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानो के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07.2013 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है। अतः अपील एवं स्थगन प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमान सामग्री का गंभीरतापूर्वक कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3500 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद

पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो वह राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 2647/2023 संध्या रानी सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों को पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जाये।

आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)